17/5/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत पेश हुई। पत्रावली के पेशां वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा विवादित आराजियात (ख.नं. 2133/6207) रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 3532 रकबा 0.68 हे0 की खातेदारी दर्ज है जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दि0 26.10.10 के दस्तावेज में नं0 3 में अंकन किया है कि विवादित आराजियात से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य लोग राजू पिता गोपाल का कब्जा है। उक्त दोनों पक्षों के प्रस्तुत लिखित जवाब एवं वादपत्र से स्पष्ट होता है दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। दावा मे वाद पत्र स्वीकार कर आराजी ख0नं0 2133, 3532 वाके ग्राम सांवरे कपुरा से प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त के मजाहमत, मदाखलत ना करें। शान्ति पूर्वक काश्त करते रहें। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

Scanned by CamScanner